मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 10, 1947)

समय 11.00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री इन्दर सिंह गोठी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री राधेश्याम शुक्ल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) डॉ. सूर्यप्रकाश सक्सेना, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्रीमती रजनी उपासने, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री चन्द्र कुमार भनोत, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री शंकरलाल तिवारी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्रीमती लोरेन बी. लोबो, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री ला. गणेशन, नागालैण्ड के राज्यपाल एवं भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य,
(10) श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(11) श्री सुभाष आहूजा, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य,
(12) श्री धर्मेन्द्र, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य एवं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता,
(13) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को दिल्ली के लालकिले के पास हुए कार विस्फोट में मृत एवं हताहत व्यक्ति,
(14) दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को छत्तीसगढ़ के राजनादगांव जिले के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर श्री आशीष शर्मा.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार *(डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)*, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पटल पर रखेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** –

(क) द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 1642/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025,
(ख) क्रमांक 1643/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025, एवं
(ग) क्रमांक 1644/मप्रविनिआ/2025, दिनांक 22.08.2025

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (*डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*),** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(4) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (*डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत*)-**

(क) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 43 सन् 2006) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, एवं

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 (01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024)

पटल पर रखेंगी.

5. जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-5 पटल पर रखा जाना

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल/राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह, डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** प्रदेश के सीहोर जिले में आदिवासी मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** नर्मदापुरम व इटारसी में बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को परेशानी से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 181-भीकनगांव (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम पंचायत मृगपुरा अंतर्गत मजरा दाउ का पुरा के निवासियों के लिये विद्युत व्यवस्था कराये जाने,
(ख) अटेर अंतर्गत ग्राम रूपपुरा में विद्युत केवल उपलब्ध कराये जाने,

(2) **श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सारंग बिहरी से बीसापुर खुर्द तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम जाखा वाड़ी से छाबड़ी व्हाया खुर्द तक सड़क चका निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य,** सिवनी जिले के ग्राम सापापार से चौडा-दिघौरी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य,** मुरैना जिले के -

(क) टिकटौली दूमदार जैन मंदिर से डांडे वाली माता मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम मजरा से रामकिशन के पुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य** -

(क) टीकमगढ़ जिले के ग्राम दिगौडा से जतारा मुख्य मार्ग में पड़ने वाले तालाब के बाधान पर मार्ग की चौड़ाई कराये जाने,

(ख) निवाड़ी जिले के ग्राम भेलसी से मजरा खैराई तक व्हाया रौत्याना, टोरिया से भेलसी खैराई मजरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम बमनाली में नया हैण्ड पंप (खनन) लगाये जाने,

(7) **श्री सुनील उईके, सदस्य,** पुलिस विभाग में अनुसचिवीय संवर्ग के उप निरीक्षक (एम) और सहायक उप निरीक्षक (एम) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिये जाने,

(8) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत जुडावन से ग्राम सगरवारा तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृत किये जाने,

(ख) नगर पालिका परिषद् में नल कनेक्शन बिल कम किये जाने,

(9) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** नर्मदापुरम् जिले के इटारसी स्थित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय को स्थानांतरित किये जाने,

(10) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के मुख्य मार्ग राईसाहब के टपरा मुगलसराय मार्ग पर पिपलियाहाट के पास पुलिया निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** हरदा जिले से ग्राम खिरकिया के मध्य सड़क का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य,** पन्ना जिले के गुनौर अंतर्गत ग्राम पवइया स्थित तालाब का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने,

(13) **श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य,** शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत खौरघार रोड़ से बीलारा रोड़ तक डामरीकरण सड़क का निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम अरनिया कलां में महाविद्यालय खोले जाने,

(15) **श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया** जिले के ग्राम लैतरा लिछौरा सड़क से आम वाले बाबा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना** जिले के ग्राम उदयपुर से शानगुरैया तक बड़वारी नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार तथा श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 2025